

09/09/2014

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/313/2013

प्रकरण वी0सी0 में प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री श्रीनिवास पाल
आयोग के समक्ष उपस्थित। अनावेदक जनसूचना अधिकारी/मुख्य
कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर
अनुपस्थित।

प्रकरण में शिकायत में यह लिखा है कि अपील प्रकरण क्रमांक
2170/12 की शिकायत पर सुनवाई की जाये। शिकायत के साथ आयोग
के उक्त अपील प्रकरण की आर्डरशीट 11.3.13 की प्रतिलिपि संलग्न की
गई है। जिसमें यह लिखा है कि तकनीकी कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग
नहीं होने से सुनवाई नहीं हो सकी। अतः उभयपक्षों को पुनः सूचना पत्र
जारी किया जाये। इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस
कार्यवाही से क्षुब्ध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। शिकायतकर्ता ने
यह स्वीकार किया कि उक्त सुनवाई हेतु जल्दी नोटिस जारी करवाना
चाहते थे इस हेतु आवेदन दिया था परंतु गलती से शिकायत लिख गया।
अब वे इसमें सुनवाई नहीं चाहते। अतः प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही
आवश्यक न होने से प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही /—
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त